

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalpara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

www.cgmedicalcouncil.org

E-mail: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक / सीजीएमसी / लेखा / 2020 / 815

रायपुर दिनांक :- 16 / 09 / 2020

प्रति,

संपादक,
दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि एवं पत्रिका,
रायपुर (छ.ग.)


विषय:- सूचना के प्रकाशन बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल, रायपुर के द्वारा चिकित्सको के पंजीयन हेतु एक सूचना प्रकाशन किया जाना है।

कृपया उक्त सूचना का प्रकाशन राज्य के दैनिक समाचार पत्रों - दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि एवं पत्रिका के राज्य स्तरीय पृष्ठ पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- सूचना की प्रतिलिपि।




(डॉ० श्रीकांत राजिमवाले)
रजिस्ट्रार
छ.ग. मेडिकल काउंसिल,
रायपुर

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर

CHHATTISGARH MEDICAL COUNCIL:RAIPUR

(Estd. on 26-2-2001 U/s 3 of the Chhattisgarh Ayurvedic Parishad Adhinyam 1987, C.G. Govt. Adaptation order 2001)
First Floor, Dr. Balmukund Sharma Clinic, Kankalpara, Near Nagar Nigam Ayurvedic Hospital, Raipur - 492001 (C.G.)

Tel. & Fax No. 0771-2543393

www.cgmedicalcouncil.org

E-mail: cg_medicalcouncil@yahoo.co.in

क्रमांक / सीजीएमसी / लेखा / 2020 / 814


रायपुर दिनांक :- 16/09/2020

// सूचना //

छत्तीसगढ़ राज्य में (वैश्विक महामारी, कोविड - 19) के वजह से 22 मार्च से 31 मई 2020 तक प्रदेश में लॉकडाउन किया गया था। मार्च 2020 में उत्तीर्ण होने वाले सभी चिकित्सकीय अभ्यर्थियों को अपना पंजीयन करने में विलंब हुआ (वैश्विक महामारी, कोविड - 19) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर द्वारा मार्च 2020 में उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपना पंजीयन कराने हेतु दो माह तक अतिरिक्त समय दिया गया था। उनसे कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया गया।

इस परिपेक्ष में छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मार्च 2020 में उत्तीर्ण होने वाले सभी अभ्यर्थियों से पंजीयन हेतु (वैश्विक महामारी, कोविड - 19) की स्थिति को देखते हुए दिसम्बर 2020 तक कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया जायेगा।




रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ मेडिकल कौंसिल,
रायपुर (छ.ग.)